

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर आदेश

क्रमांक बी/462 /  
(तीन-18-1/2017)

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

(क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की जिला स्थापना में कार्यरत नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये न्यायालय उपाधीक्षक की पदोन्नति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, न्यायालय अधीक्षक के पद पर वेतनमान रूपये 15600-39100+ग्रेड पे रू0 5400 में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाकर, उनकी पदस्थापना सारिणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लिखित जिला स्थापना पर की जाती है अर्थात:-

क्र०	न्यायालय उपाधीक्षक का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री शैलेन्द्र हड़पावत	उज्जैन	झाबुआ	श्री देवीसिंह भदौरिया, न्यायालय अधीक्षक के दि. 31.01.2017 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर

(ख) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापनाओं में कार्यरत नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये लेखापालों की पदोन्नति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, न्यायालय उपाधीक्षक के पद पर, वेतनमान रूपये 5200-20200+ग्रेड पे रूपये 2800 में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाकर, उनकी पदस्थापना सारिणी के स्तंभ क्र० (4) में दर्शायी गई न्यायिक जिला स्थापना पर की जाती है। साथ ही यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि यदि कोई भी लेखापाल पदोन्नति पर जाने से इंकार करता है तो उसे उसी हैसियत से अन्य जिला स्थापना पर स्थानांतरित कर दिया जावेगा क्योंकि लेखापालों द्वारा पदोन्नति पर न जाने से संबंधित स्थापनाओं के कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बाधित होते हैं।

क्र०	लेखापाल का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री आशीष श्रीवास्तव	कु०न्या० भोपाल	उज्जैन	श्री शैलेन्द्र हड़पावत, न्यायालय उपाधीक्षक की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर




2. श्री चत्तूलाल यादव कु0न्या0 बैतूल शहडोल श्री शंकर सिंह संचार, न्यायालय उपाधीक्षक की दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर
3. श्री राजेश पहापलकर कु0न्या0 मण्डला कु0न्या0 नीमच श्रीमती उमा किरण सक्सेना न्यायालय उपाधीक्षक की दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर

(ग) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी की जिला स्थापना एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी की स्थापना में कार्यरत नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये न्यायालय उपाधीक्षक को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर उसी हैसियत में स्थानांतरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदस्थ किया जाता है अर्थात् :-

क्र०	न्यायालय उपाधीक्षक का नाम	कहाँ से	कहाँ को	रिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री आर० के० वर्मा	सीधी	कु0न्या0 सीधी	श्री देवेन्द्र विश्वकर्मा, न्यायालय उपाधीक्षक के स्थान पर
2.	श्री देवेन्द्र विश्वकर्मा	कु0न्या0 सीधी	सीधी	श्री आर० के० वर्मा, न्यायालय उपाधीक्षक के स्थान पर

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

  
 { मनोहर ममतानी }  
 रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक बी/463 /  
 (तीन-18-1/2017)

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि :-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन/झाबुआ/शहडोल/सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल/बैतूल/मण्डला/नीमच/सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।  
कृपया, संबंधित कर्मचारियों (श्री आर० के० वर्मा, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी एवं श्री देवेन्द्र विश्वकर्ता, न्यायालय उपाधीक्षक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को छोड़कर) को उनकी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर, निर्देश देवें कि उनके द्वारा नई पदस्थापना पर दिनांक **01.02.2017 (एक फरवरी सन् दो हजार सत्रह)** को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जा सके। यह भी अनुरोध है कि कृपया संबंधित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रजिस्ट्री को यथाशीघ्र अवगत करावें।
3. रजिस्ट्रार (डी०ई०) के निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि म० प्र० उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
5. अनुभाग अधिकारी, जिला स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
6. श्री शैलेन्द्र हड़पावत, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन,
7. श्री आशीष श्रीवास्तव, लेखापाल, कार्या० प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल,
8. श्री चत्तूलाल यादव, लेखापाल, कार्या० प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल,
9. श्री राजेश पहापलकर, लेखापाल, कार्या० प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला,
10. श्री आर० के० वर्मा, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर तत्काल कार्यभार सौंपकर स्थानांतरित नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें,
11. श्री देवेन्द्र विश्वकर्मा, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्या० प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर तत्काल कार्यभार सौंपकर स्थानांतरित नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें,

को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ अग्रेषित कर, निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत एवं स्थानांतरित कर्मचारी (श्री आर० के० वर्मा, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी एवं श्री देवेन्द्र विश्वकर्ता, न्यायालय उपाधीक्षक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को छोड़कर) अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर, इस प्रकार कार्यभार सौंपे कि पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक **01.02.2017 (एक फरवरी सन् दो हजार सत्रह)** को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें।

20.01.17  
{सनत कुमार कश्यप}  
रजिस्ट्रार (डी०ई०)